



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला श्रीगंगानगर (राज.)

01509-220006, 223877 (ऑफिस)

फैक्स-01509-220068, 223877 (ऑफिस)

—: निविदा सूचना :—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में रबी 2015–2016–17 जायद 2016 व खरीफ 2016 में बोई गई/बोई जाने वाली फसलों में कृषि कार्य (01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिए) को करने हेतु सीलबंद निविदायें/खुली बोली चकवार ब्लॉकवार दिनांक 15.3.2016, 22.03.2016 व 29.03.2016 को सांय 2.30 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। जिस ठेकेदार के नाम ठेका होगा उसके बाद उस चक की धरोहर राशि रुपये 10000/— मात्र का डी.डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** सूरतगढ़ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती और निविदाफार्म रुपये 100/—मात्र का डी.डी. जो कि फार्म खंजाची के पास जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़
कृषि कार्यों के लिये नियम व शर्तें वर्ष 2016–17 (1.4.2016 से 31.3.2017 तक)

1. फार्म द्वारा विभिन्न कृषि कार्यों के लिये निर्धारित दरों पर कार्य करने के इच्छुक ठेकेदारों को चक का पूरा कार्य एक वर्ष के लिए (1.4.2016 से 31.3.2017 तक) ठेका लेने हेतु चकवार रुपये 10,000/—(दस हजार) मात्र कार्य स्वीकृत होने पर जमा कराने होंगे। यह राशि एक वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। सभी कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि चक प्रभारी से एक दिन पहले मालुम करना होगा।
2. ठेका स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक महोदय को होगा।
3. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) पर हस्ताक्षर करने होंगे, इसके लिये पार्टी को रुपये एक सौ मात्र के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प फार्म पर मय हस्ताक्षर के देना होगा।
4. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रख सकेगा यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
5. यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने के बाद कार्य करने के लिये पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो चक प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेंगे तथा इस कार्य में निर्धारित दर से यदि अधिक रकम देनी पड़ी तो ठेकेदार के बिलों से ही यह राशि काट ली जायेगी।
6. कृषि कार्यों को करने के लिये कस्सी,दंराती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेंगे।
7. फसल की रोपाई,गुड़ाई व कटाई आदि की जांच का कार्य निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जायेगी।
8. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
9. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक चक का बिल अलग अलग देना होगा।
10. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल हफ्तेवार प्रस्तुत करना होगा।
11. ठेकेदार को मजदूरों को लाने व ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थिति व श मजदूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार को देना होगा।
12. फसल में पानी लगाते समय खालों की देखरेख एवं पानी लगाने तक का कार्य स्वीकृत दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निशुल्क निकालना होगा।
13. यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।

14. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
15. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो जो भी खर्चा फार्म का होगा वह ठेकेदार से वसूला जायेगा। ठेकेदार को अपने श्रमिकों को भुगतान समय पर करना होगा।
16. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशमं प्रकरण निगम के सहप्रबन्ध निदेशाक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकलविवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवादकानि वटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशमं न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
17. आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म परिधि से सम्बन्धित होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते प्रभारी निदेशक